न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 37 / 2022 (2022 / 00037) जिला–नागौर

1. गंगाराम पुत्र बींजाराम मेघवाल
2. मेघाराम पुत्र बींजाराम मेघवाल
3. शंकर पुत्र बींजाराम मेघवाल
4. भंवर पुत्र रेखाराम मेघवाल
5. चन्दाराम पुत्र उगमाराम मेघवाल
6. गोमाराम पुत्र मंगाराम मेघवाल
7. सुगनाराम पुत्र मंगाराम मेघवाल
8. भींवसिंह पुत्र भैरू सिंह राजपूत
9. मांगू पुत्र भैरू सिंह राजपूत
10. सुनील दास पुत्र गोविन्ददास साद
11. प्रताप दास पुत्र गोविन्द दास साद
12. भगवानदास पुत्र गोविन्ददास साद
13. बसतुदेवी पत्नी गोविन्ददास साद
14. चैलाराम पुत्र दुलाराम जाट
15. श्रवणराम पुत्र दुलाराम जाट
16. नारायणी देवी पत्नी दुलाराम जाट

समस्त निवासी ग्राम दोतीणा तहसील जायल जिला नागौर।

———अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर।

—————प्रत्यर्थी

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, जायल दिनांक 16–11–2021
अन्तर्गत प्रकरण संख्या 35 / 2021 बउनवान सरकार बनाम गंगा सिंह वगैरह

————

उपस्थित–
1. श्री दिनेश कुमार साहू अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी
3. श्री अजीत सिंह राठौड़ अभिभाषक कैवियटकर्ता

निर्णय

दिनांकः— 25—5—2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी तहसीलदार जायल द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल के समक्ष एक प्रार्थना पत्र राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 एवं 136 के तहत ग्राम दोतीणा तहसील जायल में स्थित आराजी खसरा नम्बर 42, 47, 48/431, 48, 50/414, 50/413, 50, 611/51, 17, 17/1, 11, 648/19, 9/406, 9/407, 9/408, 10, 589/9, 8 एवं ग्राम पन्नापुरा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 7, 5/2 में से कदीमी रास्ता (ग्राम दोतीणा के खसरा नम्बर 37 गैर मुमकिन रास्ता से खसरा नम्बर 522/8 तक) प्रचलित होना तथा वर्तमान में उक्त रास्ता होने पर चालू स्थाई सार्वजनिक रास्तों का जमाबंदी एवं नक्शे में दर्शाये अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया जिस पर उपखण्ड अधिकारी जायल ने अपीलार्थीगण को नोटिस दिये बिना एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना प्रत्यर्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर ग्राम दोतीणा तहसील में स्थित उक्त आराजियात एवं ग्राम पन्ना पुरा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 7, 5/2 में से प्रस्तावित रास्ते की पृथक से नये नम्बर डालकर राजस्व रेकार्ड में तरमीम करने एवं खातेदारों के खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 16—11—2021 को पारित कर दिये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कि जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

उक्त अपील के साथ केवियटकर्ता अभिभाषक श्री अजीत सिंह राठौड, की बहस प्रार्थना पत्र वास्ते प्राथमिक आपत्ति पर सुनी गई। उनका कथन है कि वर्तमान अपीलार्थीगण द्वारा विवादग्रस्त आराजियात बाबत सिविल न्यायाधीश जायल के समक्ष नियमित वाद वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जो विचाराधीन है जिसमें केवियटकर्तागण एवं अन्य व्यक्तियों को पक्षकार मुर्तिब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार जायल द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौके पर कदीमी रास्ता मौजूद है जिसका अधिकार अभिलेख में अंकन नहीं है इसी कारण अपीलार्थीगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर भौतिक रूप से प्रचलित रास्ते का नक्शा ट्रेस में अंकन किया जाकर अधिकार अभिलेख/जमाबंदी में किस्म गैर मुमकिन रास्ता जिन खातेदारों की भूमि में से रास्ता अवस्थित था उन्हीं की खातेदारी में यथावत गैर मुमकिन रास्ता अंकित किया गया है।

केवियटकर्तागण के अभिभाषक का यह भी कथन है कि कवियटकर्तागण व अपीलार्थीगण ही अपने–अपने खेतो में आने–जाने के लिए विवादित रास्ते का पीढ़ियों से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है जो उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थे लेकिन उनको पक्षकार मुर्तिब नहीं किया गया। तहसीलदार जयल द्वारा भूमिधारक चालू स्थाई सार्वजनिक रास्तों का रेकार्ड में अंकन नियम 58, 59, 60,66 एवं 86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 तथा धारा 131, 132 एवं 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में प्रावधानें के अनुसर ही प्रचलित स्थाई मार्ग का अधिकार अभिलेख /नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो कि भूमि धारक का यह दायित्व है कि प्रचलित रास्तों का अधिकार अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस में यथावत अंकन करे क्योंकि समस्त आराजियात की भू–स्वामी राज्य सरकार है। इसी कारण जो स्थाई रास्ते की भूमि मार्ग में स्थित है और जिन खातेदारों की भूमि में से स्थाई रास्ता अवस्थित रहा है उसे उन्हीं खातेदारों की खातेदारी में मार्ग किस्म गैर मुमकिन रास्ता अंकित किया गया है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर आवश्यक पक्षकारों के अभाव में प्राथमिक स्तर पर ही अपील निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को बिना नोटिस एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिये एकतरफा में अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि तहसीलदार जायल द्वारा जो मौका रिपोर्ट दिनांक 22–6–2021 को तैयार की गई वह एकदम फर्जी एवं झूठी है उक्त मौका रिपोर्ट पर अपीलार्थीगण के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी करके प्रस्तुत की गई जबकि अपीलार्थीगण को मौके पर बुलाया ही नही एवं न ही हस्ताक्षर करवाए गये जबकि अपीलार्थी संख्या 5 चन्दाराम अंगूठा निशानी करता है जबकि मौका रिपोर्ट में अपीलार्थी संख्या 5 चन्दाराम के हस्ताक्षर किये हुए है इससे स्पष्ट है कि उक्त समस्त कार्यवाही एकपक्षीय रूप से फर्जी तरीके से अपीलार्थीगण के हस्ताक्षर कर तैयार की गई है। विवादित आराजियात अपीलार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की है जिस पर न तो पूर्व में किसी प्रकार का कोई कदीमी रास्ता मौजूद है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी के खेतो में रास्ता स्वीकृत कर अपीलार्थीगण के खेतों को दो अलग–अलग टुकड़ो में विभाजित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी गौर नहीं किया कि विवादित आराजियात के मौके पर किसी प्रकार का कदीमी रास्ता नहीं है कुछ जाति विशेष के प्रभावशाली व्यक्तियों ने तहसीलदार जायल से मिलीभगत करके अपने फायदे के लिए अपीलार्थीगण के खेतो के बीच में रास्ता निकलवाने पर आमादा हो रहे है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–11–2021 को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी के राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया गया प्रस्तावित रास्ता आमजन के आवागमन हेतु सुगम जनसुविधा मात्र है। तहसीलदार जायल की मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता मौके पर चालू है। उक्त चालू स्थाई सार्वजनिक कदीमी रास्ता यदि कटाण घोषित किया जाता है तो भी संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा जिससे संबंधित खातेदार का हक भी प्रभावित नहीं होगा। नक्शे में राजकीय भूमि होने की स्थिति में चालू रास्ते का अंकन का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त नियम 58, 59, 66 व 86 के प्रावधानो के अनुसार ग्राम दोतीणा व पन्नापुरा तहसील जायल में विवादित आराजियात में से प्रस्तावित कदीमी रास्ता की पृथक से नये नम्बर डालकर राजस्व रेकार्ड में तरमीम करने एवं खातेदारों के खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये है। किसी भी पक्षकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–11–2021 राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्रों एवं आदेशों में प्रदत्त निर्देशों के तहत पारित किया गया है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल द्वारा ग्राम दोतीणा तहसील जायल में स्थित आराजी खसरा नम्बर 42, 47, 48/431, 48, 50/414, 50/413, 50, 611/51, 17, 17/1, 11, 648/19, 9/406, 9/407, 9/408, 10, 589/9, 8 एवं ग्राम पन्नापुरा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 7, 5/2 वाके ग्राम दोतीणा व पन्नापुरा को नजरी नक्शे अनुसार गै0मु0रास्ता दर्ज किये जाने एवं रास्ते के नजरी नक्शे अनुसार नक्शे में तरमीम करने तथा पृथक से बटा नम्बर डालकर वर्तमान खातेदारों के खाते में गै0मु0रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि उपखण्ड अधिकारी जायल द्वारा तहसीलदार जायल की मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता मौके पर चालू होने के आधार पर एवं पटवारी हलका की मौका रिपोर्ट दिनांक 22–6–2021 में अंकितानुसार मौके पर उपस्थित मौतबिरान द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त रास्ता वर्षो से चला आ रहा है तथा हमारे खेतों मे पशुओं को लाने व ले जाने, खेतों में काश्त करने के लिए ट्रेक्टर, ट्रोली खेती करने के उपकरण व ऊंट गाडी के आवागमन के लिए इसी रास्ते का उपयोग करते आ रहे है। मौके पर रास्ता खुला हुआ है तथा निरन्तर आवागमन भी होता आ रहा है। उक्त रास्ते को रेकार्ड में अंकित कराना चाहते है ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके एवं आवागमन में भी सुविधा हो। उक्त चालू स्थाई सार्वजनिक कदीमी रास्ता यदि कटाण घोषित किया जाता है तो भी

संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रहेगा जिससे संबंधित खातेदार का हक भी प्रभावित नहीं होगा। नक्शे में राजकीय भूमि होने की स्थिति में चालू रास्ते का अंकन का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त नियम 58, 59, 66 व 86 के प्रावधानो के अनुसार ग्राम दोतीणा व पन्नापुरा तहसील जायल में विवादित आराजियात में से प्रस्तावित कदीमी रास्ता की पृथक से नये नम्बर डालकर राजस्व रेकार्ड में तरमीम करने एवं खातेदारों के खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये है। उक्त रास्ता स्थायी सार्वजनिक रास्ता है तथा बारहमासी है तथा मौसम/ऋतु के अनुसार बदलता नहीं है तथा आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं परिपत्रों में दिये गये निर्देशों के अनुसार ही वाके ग्राम दोतीणा व पन्नापुरा की विवादित आराजियात को नजरी नक्शे अनुसार गै0मु0रास्ता दर्ज किये जाने एवं रास्ते के नजरी नक्शे अनुसार नक्शे में तरमीम करने के आदेश पारित किये गये है जो विधिसम्मत है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–11–2021 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) जायल द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–11–2021 अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 35/2021 बउनवान सरकार बनाम गंगाराम व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25–05–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल महेरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर